रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-05112026-277699
CG-UP-E-05112026-277699

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5776] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 2026/कार्तिक 12, 1948
No. 5776] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 2026/KARTIKA 12, 1948

रेल मंत्रालय

[पूर्वोत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

गोरखपुर, 3 नवम्बर, 2026

का.आ. 6008(अ).— केन्द्रीय सरकार रेल (संशोधित) अधिनियम, 2008 (अधिनियम सं० 11 वर्ष 2008) के खंड (2) की धारा 7(क) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित जिलों एवं स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य में विशेष रेल परियोजना"छितौनी-तमकुही रोड नई रेल लाइन परियोजना 67.696 किमी" के संदर्भ में ऐसे विशेष रेल परियोजना के निष्पादन अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) के उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है ।

सारणी

विशेष रेल परियोजना

क०सं०	सक्षम अधिकारी	जिला	राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उप जिलाधिकारी (न्यायिक), पडरौना	कुशीनगर	उत्तर प्रदेश

[फा. सं. W/Con/247/CTE-TOI/LA/7A/UP]

अनुज मित्तल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Eastern Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Gorakhpur, the 3rd November, 2026

S.O. 6008(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 of the Railways Act 2008 (Act No. 11 of 2008), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the table below as "Competent Authority" to perform the function as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the Special Railway Project namely "Chhitauni-Tamkuhi Road New Line Project, 67.696 Km" in the districts mentioned in column (3) and in the states mentioned in column (4) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

SCHEDULE

Special Railway Project

S.No.	Competent Authority	District	State
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SDM (Judicial), Padrauna	Kushinagar	Uttar Pradesh

[F. No. W/Con/247/CTE-TOI/LA/7A/UP]

ANUJ MITTAL, Chief Administrative Officer/Construction

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.